जन प्रेरित अभियान .
सर्मथ बस्तर के लिए लोक नियोजन

1 कृषि और संबद्ध क्षेत्र

1.1 बस्तर जिले में कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं

1. समृद्ध प्राकृतिक राजधानीः बस्तर को भरपूर वर्षा, जल निकायों, प्रचुर मात्रा में वन आवरण और जैव–विविधता, उपजाऊ मिट्टी और धान, बाजरा और अन्य फसलों की देशी किस्मों का भंडार प्राप्त है।
2. धान की पैदावार/उपज की विविधता का अभावः खरीफ ऋतु में लगभग दो–तिहाई क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। लगभग 14 प्रतिशत क्षेत्र मक्का और शेष क्षेत्र बाजरा, दाल और तिलहन के लिए है। यह एक फसल के उच्च प्रसार और फसल के पैटर्न में विविधता की कमी को इंगित करता है।
3. अपर्याप्त जल संरक्षण के कारण सीमित रबी की फसलः बस्तर जिले में कुल 1.92 लाख हैक्टेयर फसल उगाई जाती है। इसमें से केवल 23000 हैक्टेयर ही सिंचित क्षेत्र है। जो की कुल सिंचित का क्षेत्र 12 प्रतिशत है। यह सिंचाई क्षमता के अत्यंत कम उपयोग की ओर इशारा करता है। 1300 मिमी वार्षिक औसत से अधिक वर्षा के बावजूद, रबी के मौसम में पानी की उपलब्धता में कमी के कारण केवल 20 प्रतिशत क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, जो की जल संरक्षण की व्यवस्था की कमी को इंगित करता है। परिणामस्वरूप, कुछ युवा मजदूरी करने के लिए खरीफ की फसल के बाद अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, और दूशरे जिलों के भीतर दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं।
4. कम उत्पादकताः बस्तर के लिए प्रति हैक्टेयर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से कम है। यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी काम है। हालांकि, इसका मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम उपयोग है, जो अपने आप में एक स्वागत योग्य विशेषता मानी जा सकती है (बस्तर में उर्वरक की खपत लगभग 45 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है (2018) जबकि राष्ट्रीय औसत 165 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। (2014)।

5. स्थायी कृषि प्रथाओं के लिए उपयुक्तताः पारंपरिक खेती के तरीके (हालांकि कुछ स्थानों पर बंद किए जा रहे हैं), स्वदेशी किस्मों की विविधता, समृद्ध बायोमास की उपलब्धता आदि बस्तर को स्थायी कृषि प्रथाओं के परिचय/ गहनता के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
6. अपर्याप्त अवसंरचना या भौतिक पूंजीः कृषि के विकास में इससे सम्बंधित आधारभूत संरचना की उपलब्धता जैसे सड़कों या रेल के माध्यम से अच्छी कनेक्टिविटी और इनपुट के साथ–साथ आस–पास की मंडी, सिंचाई के बुनियादी ढाँचे, प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बस्तर जिले में कृषि के निरंतर विकास के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे या भौतिक पूंजी का सर्वथा अभाव है।
7. वित्तीय सेवाओं सहित अपर्याप्त सहायक सेवाएंः बस्तर में कृषक समय पर वित्त, बीमा, मौसम की भविष्यवाणी, विशेषज्ञ की सलाह आदि उपलब्ध सहायता सेवाओं का लाभ नहीं उठाते हैं।
8. संबद्ध गतिविधियों का निम्न स्तर जैसे पशुधन पालन आदिः बस्तर जिले में पशुधन का घनत्व केवल 80 प्रति वर्ग किमी है। (2015–16 में 6420 वर्ग किमी में लगभग 515000 पशुधन)। डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री को किसानों द्वारा एक वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में नहीं लिया जाता है, हालांकि काफी किसानों के पास पिछवाड़े में मुर्गे या मवेशी होते हैं।

1.2 क्षमता और संभावनाएँ

• फसल चक्र में विविधता लाने की संभावनाः ज़िले में चूंकि लगभग दो–तिहाई क्षेत्र का ही उपयोग धान की खेती के लिए किया जाता है। इसलिए किसान के पास कम से कम क्षेत्र में धान की जगह अन्य कम लागत एवं अधिक उत्पादन वाली फसलें जैसे कि बागवानी फसलें या औषधीय पौधे, मसाले आदि की खेती कर अधिक आय अर्जित करने के अवसर उपलब्ध है।

• स्वदेशी किस्में और प्राकृतिक खेतीः बस्तर में उर्वरकों और कीटनाशकों की औसत खपत प्रति हैक्टेयर कम है। कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ किसान किसी भी कीटनाशक या रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसान धान आदि की कई देशी किस्मों का ही उपयोग करते हैं। पहले से मौजूद इन प्रथाओं के कारण यह क्षेत्र जैविक खाद्य उत्पादन कर देशी किस्मों व प्राकृतिक उपज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। इसके लिए उपयुक्त एवं सक्षम बाजार की खोज, स्थापना और संचालन करना होगा।

• रबी के मौसम में जल संचयन और पुनः बुवाईः विभिन्न साधनों के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना संभव है। कटाई के दृष्टिकोण के साथ घाटी के लिए जल संचयन, चेक डैम, नाला बांधना, खेतों में तालाब, सामुदायिक टैंक (तालाब) और खोदा कुआं आदि

सहित एक व्यापक कार्यक्रम अधिकांश क्षेत्रों में रबी के दौरान पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के साथ–साथ फसल की विविधता एवं आवृत्ति में वृद्धि कर सकता है। रबी के मौसम में बाजरा और दलहन या तिलहन आदि की खेती की जा सकती है।

- सहयोगी गतिविधियों का विकासः कृषि से होने वाली आय की पूरक के रूप में डेयरी, सुअर पालन, बकरी पालन, पिछवाड़े मुर्गी पालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- कृषकों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की गतिविधियाँः मूल्य संवर्धन का अभाव कृषि से किसानों की सीमित आय का एक प्रमुख कारण है। यह सर्वविदित है कि किसी भी प्रकार के प्रसंस्करण से गुजरने पर कृषि उपज का बाजार मूल्य काफी बढ़ जाता है। प्रसंस्करण का स्तर जितना अधिक होगा उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा। हालांकि यह सच है कि व्यक्तिगत स्तर पर किसानों के लिए कृषि उपज का प्रसंस्करण करना प्रायः मुश्किल होगा। अतः प्राथमिक स्तर के प्रसंस्करणों के लिए उत्पादक समूहों या बड़े संगठनों का गठन संभव है।

1.3 मौजूदा ब्यवस्था एवं योजनाएँ

ज़िले में कृषि को बढ़ावा देने और कृषकों की सहायता के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ हैं। किसान की लगभग हर जरूरत को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और इसे पूरे जिले में लागू किया जा रहा हैं। पिछले कुछ दशकों से इन्हें नियमित रूप से कार्यान्वित भी किया जा रहा हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक व्यापक परियोजना शुरू की है, जिसका नाम नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी (एन.जी.जी.बी.) योजना है। इस योजना को पारंपरिक प्रथाओं एवं उनके ज्ञान को पहचानने के लिए तैयार किया गया है। जिसका पालन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, और इसका एक उद्देश्य कुछ प्रथाओं को बहाल करना भी है। इसमें जल संरक्षण, धाराओं की वापसी, मवेशियों की सुरक्षा, गौ–संरक्षण एवं गौ–आश्रयों का निर्माण, खाद के गड्ढों के माध्यम से जैव खाद उत्पादन को बढ़ावा देना और सब्जियों आदि के लिए पिछवाड़े उद्यान शामिल हैं। यह लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेंगे। समय के साथ बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की योजना, कृषि की स्थिरता को बहाल करने और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। पूर्व में भी बस्तर में नवीन परियोजनाएँ लागू की गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले ही लागू की गई सफल परियोजनाओं में से एक काजू बागान परियोजना है। इससे छत्तीसगढ़ में काजू उत्पादन की शुरुआत हुई है, जो आज भी कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। 9000 से अधिक एस.एच.जी. को बढ़ावा दिया गया है और उनके माध्यम से कृषि योजनाओं को भी लागू किया गया है। सरकार ने जैविक खेती मिशन और पारम्परिक कृषि विकास योजना

के तहत 2015 से जैविक समूहों के गठन के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। 55 समूहों में लगभग 1900 हेक्टेयर को पहले ही जैविक खेती के तहत लाया जा चुका है।
राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों के अलावा अन्य संस्थान जैसे विश्वविद्यालय और विशिष्ट प्रोत्साहन संस्थान भी कृषि मोर्चे पर सुधार लाते हेतु विभिन्न परियोजनाओं को लागू करते हैं। बस्तर जिले के बागवानी विश्वविद्यालय ने बस्तर में कॉफी के उत्पादन की उपयुक्तता पर शोध किया है और इसे सफलतापूर्वक पेश भी किया है। इन्होंने अन्य फसलों जैसे किन्नो और मसालों की कई किस्मों को शुरू करने पर भी काम किया है। बड़े क्षेत्रों में काजू की नई किस्मों को भी पेश किया गया। कोंडागांव में नारियल विकास बोर्ड ने व्यावसायिक रूप से नारियल के रोपण का प्रचार करने में भी काफी काम किया है क्योंकि ऐसे पेड़ों को धान के खेतों के बीच में भी लगाया जा सकता है।

1.4 क्षमता की कम उपलब्धि के लिए कारण

1.4.1 नियंत्रण का पैटर्न

ग्रामीण समुदाय विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के लिए सरकारी एजेंसियों पर निर्भर करता है। अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की योजनाएं भी काफी व्यापक हैं। इतिहास ने यह भी देखा कि कुछ अवसरों पर सरकारी एजेंसियों ने प्रभावी ढंग से कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके अलावा जो पहुंच और पैमाना सरकारी एजेंसियां हासिल कर सकती हैं वह खुद में बेजोड़ भी है। हालांकि सरकारी विभागों और समुदाय के बीच संपर्क का आभाव कुछ मामलों में स्पस्ट रूप में प्रतीत होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकारी योजनाएं एक शीर्ष–डाउन दृष्टिकोण का पालन करती हैं और योजना के डिजाइन में लोगों या लाभार्थियों की कोई भागीदारी नहीं है। हालांकि यह कुछ हद तक एक सही अवलोकन हो सकता है। किन्तु यह भी सच है कि औसत किसान पहले से ही यह महसूस करने की स्थिति में नहीं है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। ऐसा नई तकनीक या नए उत्पादों की शुरूआत के मामले में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। सोशल मीडिया और कल्पनाशील फिल्मों आदि सहित विभिन्न माध्यमों से जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है, ताकि किसी योजना को अंतिम रूप दिया जा सके और किसान भी विभिन्न संभावनाओं से अवगत हो सकें। योजनाओं को शुरू करने से पहले किसानों के साथ चर्चा भी की जा सकती है।

किसान को अपनी आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में सरकार से संपर्क करने में सक्षम होना चाहिए। यह आम तौर पर केवल उन लोगों को प्राप्त है जो स्थिति, ज्ञान,

धन, कनेक्शन आदि के मामले में औरों से बेहतर होते हैं। किन्तु सामूहिक प्रयास के माध्यम से योजनाओं का लाभ उन तक भी पहुंचने की बेहतर संभावना होगी जो सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए एक गांव या गांवों के किसान समूहों को उनकी जरूरतों पर चर्चा करने और सरकार से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

आम तौर पर चुने गए प्रतिनिधियों को योजना लॉन्च करने तथा गांव और लाभार्थियों के चयन आदि में शामिल किया जाता है। लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि योजनाओं के निर्माण चरण में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी पर्याप्त और प्रभावी है या नहीं। प्रायः ऐसा पाया जाता है कि कुछ योजनाएं उन तक ही पहुंचती हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। उपरोक्त बिंदु बस्तर जिले के लिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि आमतौर पर अनेक स्थानों पर ऐसे ही देखा जाता है।

जहां तक बाजार का संबंध है किसान का बाजार पर सीमित नियंत्रण है और खरीदारों यथा सरकारी या निजी व्यापारी द्वारा निर्धारित कीमतों को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर नकदी का आभाव, माल भंडारण के लिए व्यवस्था की कमी और वित्त प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों के कारण एक फसल के बाद लंबे समय तक दूसरी फसल उत्पादन की क्षमता किसान के पास नहीं रह जाती है। किसान को फसल के तुरंत बाद उत्पादों को सबसे कम कीमतों पर बेचना पड़ता है। जबकि माल को स्टोर करने की क्षमता रखने वाले व्यापारी एक समय अंतराल के बाद उच्च कीमतों पर उत्पादों को बेचने की स्थिति में होते हैं।

किसानों के उत्पाद की जब सरकार खुद खरीददार होती है तो भी स्थिति बहुत भिन्न नहीं होती है, हालांकि सरकारी कीमतें आम तौर पर व्यापारी की तुलना में अधिक होती हैं। किसान को इस मामले में भी फसल को तुरंत बेचना पड़ता है। वास्तव में सरकार को बेचने में किसानों को अधिक बोझिल वितरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

सरकारी खरीद प्रक्रिया का एक अप्रत्यक्ष, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि किसानों का फसल उत्पादन के निर्णय पर नियंत्रण नहीं जाता है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली खरीद का लाभ केवल कुछ फसलों के लिए ही होता है। अगर सरकार अन्य फसलों के खरीद की घोषणा करती है तो भी प्रस्तावित कीमतें आकर्षक नहीं हो सकती हैं। राष्ट्रव्यापी, गेहूं और चावल के लिए कीमतों में पिछले कुछ दशकों से उत्पादन में बदलाव के साथ–साथ खपत पैटर्न में भी सुधार हुआ है क्योंकि ये दो अनाज हैं जो सबसे अधिक खरीदे जाते हैं और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सबसे अधिक खपत किए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में देश ने अधिक पौष्टिक बाजरा आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के कारण गेहूं और चावल के उत्पादन में बदलाव देखा है। बस्तर में चावल प्रधान आहार की

वस्तुओं में से एक रहा है, हालांकि मामूली बाजरा भी पूर्व में आहार का एक हिस्सा था किन्तु उसकी खपत कम हो रही है। यह महसूस किया जा सकता है कि खरीद और पी.डी.एस. नीतियों के प्रभाव के कारण बस्तर में चावल हमेशा से आहार का एक प्रमुख घटक था जिस पर काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं गया है।

सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता था और इसमें हजारों देशी किस्म के धान थे। यहां के किसान मुख्य रूप से उन्हीं किस्म के धान का उत्पादन करते थे जो की उन्हें बाजार में मूल्य विविधता प्रदान करवाते थे। किसान अपने घर की खपत और उपभोग के बाद शेष उत्पाद को बेचने के लिए विविधता का चयन करता था। नगण्य लागत पर पी.डी.एस.के तहत चावल की उपलब्धता (कुछ मामलों में 1 रुपये प्रति किलो) के साथ और देशी किस्मों के लिए किसी भी विभेदित खरीद मूल्य की अनुपस्थिति में किसान को स्वदेशी किस्मों की पसंद की स्वतंत्रता को त्यागना होगा और अन्य किस्मों की खेती करनी होगी। अधिक उपज मूल्य का लाभ प्राप्त करने के लिए, किस्मों, बीजों को सरकारी चैनलों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। यह उनकी फसल उत्पादन एवं विपणन की पौराणिक ब्यवस्था एवं चलन को बाधित करता है।

किसानों के परिवार, जो खरीद मूल्य पर खेती की पूरी उपज को बेचते हैं (वर्ष 2018–19 के लिए बोनस के बाद 2500 रुपये प्रति क्विंटल था) और पी.डी.एस. के माध्यम से उपलब्ध कम पोषक तत्व वाले चावल का उपभोग करते हैं। यह किसानों के पसंद की स्वतंत्रता का नुकसान, भोजन की थाली में बाजरे का कम अनुपात, धान की कई देशी किस्मों का क्रमिक रूप से गायब होना और अंत में किसानों के परिवारों के लिए इन किस्मों से पोषण की हानि के कुछ पहलू हैं। यह भी गौर करने की बात है कि खरीद नीति के प्रभाव को अभी तक नीति आयोगों में मान्यता नहीं मिली है।

1.5 संस्थागत क्षमताये

1.5.1 सरकारी एजेंसियां

सरकारी विभागों ने कृषकों के लिए कुछ अत्यधिक उपयोगी योजनाएँ तैयार कर और लॉन्च की हैं। पिछले दिनों इनमें से कुछ सफल और प्रभावी परियोजनाओं को देखा गया है। हालांकि योजनाओं को नियमित रूप से लागू किया जाता है किन्तु इसकी प्रभावकारिता को दिए गए पर्याप्त विचार के बिना ही इन्हें डिजाइन किया जाता है। एक सामान्य अवलोकन यह है कि परियोजना की सफलता के लिए प्रतिबद्धता, दृष्टि और मिशन या परियोजना नेतृत्व की

गतिशीलता परियोजना की सफलता के लिए काफी हद तक आवयशक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक अच्छी टीम संयोग या डिजाइन के आधार पर भी बन जाती है।

ऐसे कार्यक्रमों की सफलता के कई कारक हो सकते हैं और इन पर विस्तार से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी परियोजनाएं एक आदर्श बन सकें। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारी विभागों के अलावा, कोंडागांव में अन्य संगठनों जैसे कि नारियल विकास बोर्ड आदि ने अच्छा काम किया है। लेकिन शायद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए और अधिक उच्च स्तर के प्रयासों की आव्यशकता होगी । कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि विभिन्न नवाचारों को पेश करने के लिए सरकारी विभाग और अन्य एजेंसियां काफी सक्षम हैं। यदि लोगों तक पहुँचने, उनकी जरूरतों या मुद्दों को समझने और नए उपायों में उन्हें शामिल करने के कुछ नए तरीकों की जाँच की जा सकती है तो इससे अधिक प्रभावी डिजाइन और कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

1.5.2 ज्ञान संस्थान

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जगदलपुर में बागवानी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विभिन्न बागवानी फसलों की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए व्यापक शोध किया है और मांग के आधार पर प्रसंस्करण कार्य करने के अलावा कुछ नई फसलों को सफलता पूर्वक पेश किया है। इसी तरह का काम अन्य संस्थानों द्वारा किया गया है। संस्थान अपनी परियोजनाओं को व्यापक रूप से अपनाने के लिए अधिक लोगों तक पहुंचाने के तरीकों की जांच कर सकते हैं।

1.5.3 स्व–सहायता समूह और उत्पादक संगठन

दशकों से बस्तर में एक बड़े स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी) नेटवर्क का गठन किया गया है। इस नेटवर्क के निर्माण और प्रसार में शामिल विभिन्न सरकारी, अर्ध–सरकारी और नागरिक समाज संगठन निश्चित रूप से उपलब्धि के लिए श्रेय के पात्र हैं। नेटवर्क का उपयोग शासन में सामुदायिक भागीदारी के लिए नियोजित सभी कार्यों के लिए एक अच्छे शुरुआती बिंदु के रूप में किया जा सकता है। आजीविका को बढ़ावा देने के साथ–साथ पर्यावरण और जीवन स्तर को बेहत्तर बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है।

यहाँ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्व–सहायता समूह और उसके सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है जो स्थिरता की दिशा में उनकी यात्रा को मजबूती प्रदान करेगी। बहुत कम स्व–सहायता समूह सिर्फ ऋण देने से आगे बढ़े हैं और एक समूह के रूप में किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि को अपनाया है। स्व–सहायता समूह बहुत अच्छी तरह से किसानों के लिए जैविक उत्पादों की आपूर्ति कर सकते हैं। उत्पादन को सामूहिक रूप से बेच सकते हैं। यहां तक कि कृषि उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण

गतिविधियों की शुरुआत हो सकती है (जैसे कि मक्का का अपघटन)। निश्चित रूप से नेटवर्क को सामुदायिक कार्यवाही के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करने की संभावनाएं हैं इसे समूहों को मजबूत करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। जहां तक उत्पादक समूहों या संगठनों का संबंध है उनकी उपस्थिति सीमित है और गतिविधियों का स्तर भी निचला है। सरकार की पहल के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है। हालांकि उनका संचालन अभी तक स्वः शसक्तता के स्तर पर नहीं पहुंच पाया है और शासन के क्षेत्र में इसके लिए बहुत कुछ आगे किये जाने की आवश्यकता है। किसान उत्पादक संगठनों की प्रचलित अवधारणा को तोड़ने के उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक पड़ोसी जिले दंतेवाड़ा में है – भौमगडी ऑर्गेनिक, किसानों की उत्पादक कंपनी है जो अपने सदस्यों को बीज आदि प्रदान करती है, प्रसंस्करण गतिविधियाँ करती है और जैविक उत्पाद का विपणन करती है। यह एक जैविक कैफ़े भी चलाता है। जहाँ भोजन के अधिकतर अवयवों को जैविक रूप से परोसा जाता है। हालांकि, स्थिरता हासिल करने के लिए इस कंपनी को भी और अधिक मजबूत करने की जरूरत है।

1.5.4 सामुदायिक संस्थानों के पोषण के लिए संस्थागत व्यवस्था

यदि कृषि आजीविका के संवर्धन के अवसरों की तलाश में सामुदायिक संगठनों को बड़ी भूमिका निभानी है तो उन्हें आजीविका संवर्धन के सही पोषण एवं उन्हें मजबूत करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारी विभाग जिन्हें एस.एच.जी. और उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और मजबूत करने का काम सौंपा गया है अच्छा काम कर रहे हैं। कई नागरिक समाज संगठन जैसे प्रदान जिन्होंने एस.एच.जी. के गठन और पोषण में सराहनीय काम किया है। यद्यपि एक विशेष सहायता और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा सकती है जो इस दिशा में किये जा रहे कार्यो की जांच के साथ –साथ इनको सही मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। संस्था सामुदायिक संगठनों को प्रशिक्षित और पोषण के साथ सामुदायिक संगठनों के प्रचार के काम में शामिल विभागों और नागरिक संगठनों के अधिकारियों को सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकती है। यह संस्था क्षेत्र के लिए अनुकूल प्रसंस्करण कार्यों के तकनीकी पहलुओं के साथ–साथ ब्रांडिंग और बाजार संपर्क में सहायता प्रदान करने के लिए इनपुट और प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकती है।

1.5.5 ढांचागत व्यवस्था

कृषि कार्यों को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए पर्याप्त ढांचागत व्यवस्था की आवश्यकता है। इसमें अच्छी रेल और सड़क कनेक्टिविटी के साथ न केवल भंडारण या परिवहन सुविधाएं शामिल हैं बल्कि आस–पास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए यद्यपि काजू को बस्तर में उगाया जाता है किन्तु

इनका अधिकांश प्रसंस्करण पड़ोसी राज्य ओडिशा में किया जाता है। मुख्यतः इसका कारण ज़िले में प्रसंस्करण सुविधाओं की सीमित उपलब्धता है। ज़िले में कार्यरत उत्पादक संगठनो को इन कार्यो में लगाया जा सकता है तथा उन्हें आवश्यक संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है।

1.6 वित्तीय प्रावधान की पर्याप्तता

सरकार से आवंटित धन एवं प्रस्तावित विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, मनरेगा और डी.एम.एफ. के तहत वित्त पोषित योजनाएं ज़िले में कृषि के विकास के लिए पर्याप्त प्रतीत होती हैं। हालांकि इनका एक बड़ा घटक प्रचलित व्यवस्था के तहत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में होने वाली सामान्य आधिकारिक ओवरहेड्स के लिए निर्धारित होगा। ज़िले में किसानों को बीज और अन्य इनपुट प्रदान करने के लिए बड़ा क्षेत्र बहुउद्देशीय सोसायटी का नेटवर्क भी सक्रिय है। उर्वरकों आदि के कम उपयोग के कारण कई किसानों के लिए कृषि कार्यों हेतु धन की कुल आवश्यकता भी कम है। स्वयं सहायता समूहों ने स्वयं के संसाधन जुटाए हैं साथ ही ये स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के विभिन्न चरणों में भी हैं।

हालांकि, अगर समूह या सामुदायिक संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यापार या प्रसंस्करण जैसी गतिविधिओ के लिए पहल की जाती है तो इनके लिए एक बड़े पूंजी की आवश्यकता होगी जिसके लिए जिला स्तर पर समुचित वित्त का कोई प्रावधान नहीं है। इन गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा उपार्जित संसाधन या बैंकों से मौजूदा वित्त के प्राविधान अपर्याप्त हैं। किसान उत्पादक कंपनियां चाहे वे मौजूदा हों या नई को भी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त प्राप्त करना मुश्किल होगा। जबकि सरकार ने गठित कंपनियों के शुरुआती खर्चों को वित्त पोषित किया है किन्तु उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरत के लिए किसी प्रकार के वित्त का कोई प्राविधान नहीं किया है। बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड स्टोरेज इकाइयां, परिवहन सुविधाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि के लिए वित्त की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई हैं।

1.7 प्रस्तावित सुझाव

जब तक किसान अपने उत्पादन के कुछ हिस्सों का प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तब तक पारंपरिक खेती के माध्यम से कृषि संचालन लाभदायक नहीं होगा। और यह सामूहिक रूप से करना ही उचित होगा क्योंकि सामान्य तौर पर व्यक्तिगत किसानों के लिए प्रसंस्करण गतिविधियां करना मुश्किल होगा।

बस्तर जिले के मामले में कृषि की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जिसकी पहले ही पूर्वगामी अनुभाग में चर्चा की गई हैं:–

- फसल की विविधता का सर्वथा आभाव और धान की उपज पर अतिनिर्भरता।
- जल संचयन उपायों की कमी के परिणाम स्वरूप अधिकांश स्थानों पर रबी की फसल का अभाव है।
- जैविक खेती के लिए उपयुक्तता।
- संबद्ध कृषि गतिविधियों का निम्न स्तर।

बस्तर में किसानों और कृषि की विशिष्टताओं के आधार पर मूल्यबर्द्धन की आवश्यकता के आधार पर कार्यवाही के प्रस्तावित क्षेत्र निम्न होंगे:–

जलग्रहण क्षेत्र, नाले–बांधना, चेकडैमों का निर्माण, वनीकरण, परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले टैंकों की पुनर्स्थापना, नए टैंकों का निर्माण और गड्ढों का पुनर्भरण आदि सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से जल संरक्षण। एन.जी.जी.बी. योजना का नारुवा घटक एक बड़े क्षेत्र पर लागू होने से इस पहलू में उपयोगी हो सकता है। किसानों को भी जल संरक्षण के प्रयासों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पड़ोसी राज्यों में किए गए कुछ प्रयोगों का भी अध्ययन किया जा सकता है।

अगला कदम उपयुक्त फसलों की पहचान करके रबी की खेती का प्रसार करना होगा। किसानों को धान की खेती के अलावा दूसरी फसलों जैसे कि सब्जियां, औषधीय पौधे, मसालों और कम अवधि बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। धान के खेतों में नारियल के पेड़ जैसे कुछ पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। काजू, कॉफी, हल्दी, अदरक, सूरन आदि को बस्तर के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसका प्रचार किया जा सकता है। केवल धान की खेती के बजाय कृषि उपज के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

संबद्ध कृषि गतिविधियों जैसे डेयरी फार्मिंग, बैकयार्ड पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। कई किसान मवेशी पालते हैं और पिछवाड़े मुर्गे भी रखते हैं। हालांकि, आजकल चरवाहों की कमी से होने वाली कठिनाइयों के कारण पशुपालक पेशेवर तरीके से पशुपालन नहीं कर पाते हैं। चरवाहे दिन के समय चराई के लिए सभी किसानों के मवेशियों को एक इलाके में ले जाते हैं। सरकार एन.जी.जी.बी. योजना (गेरुआ घटक) के तहत गौधन को बढ़ावा दे रही है जो जानवरों की देखभाल करने में उपयोगी साबित होगा। बस्तर जिले में इस वर्ष 54 गऊओं की योजना है, जिनमें से 30 का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। कबूतर और बकरी पालन को आदिवासी समुदायों के

भोजन की आदतें, ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहित की जा सकती है। मत्स्य पालन एक अन्य गतिविधि है जिसे आसानी से बढ़ावा दिया जा सकता है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि अधिकांश किसान सीमित मात्रा में उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग ही नहीं किया जाता है। यह इस क्षेत्र को जैविक खेती में बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कारक बनाता है। धान और बाजरा की स्वदेशी किस्मों का भी उपयोग किया जाता है। सरकार भी बस्तर जिले में जैविक समूहों को बढ़ावा दे रही है। पड़ोसी जिले दंतेवाड़ा को पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है। एन.जी.जी.बी. के घरुवा घटक के तहत खाद गड्ढों को बढ़ावा देना भी इस दिशा में एक कदम है। मवेशी और बकरी पालन भी गोबर से खाद प्रदान करते हैं जो जैविक खेती के पूरक हैं।

यदि काजू, हल्दी, दालें, मक्का आदि फसलों का किसानों द्वारा औसत उत्पादन बढ़ाया जाता है तो वे सामूहिक रूप से प्रसंस्करण गतिविधियां कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए किसान समूहों या एस.एच.जी. को सामूहिक प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए एक छोटे स्तर पर प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्राथमिक प्रसंस्करण करने वाली छोटी प्रसंस्करण इकाइयों को एक नेटवर्क क्लस्टर में स्थापित किया जा सकता है।

जैविक खेती के साथ ही प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए सिफारिशें प्रभावी ढंग से तभी लागू की जा सकती हैं जब किसानों के प्रशिक्षण, समूहों को विपणन सहायता और वित्त का प्रावधान किया जाये। सिफारिशों को लागू करने के लिए पहला कदम वहां समूहों को बनाना है जहां मौजूदा गतिविधियों के लिए समूह उपलब्ध नहीं हैं। सभी समूहों को जैविक खेती की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूह उपज को सही तरीके से एकत्र करने के साथ ही इसे अन्य किस्मों के साथ कम या ज्यादा तुलनीय बना सकते हैं। मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण भी आवश्यक होगा। जैविक खेती के साथ–साथ विपणन प्रथाओं में प्रशिक्षण की देखभाल के लिए एक प्रशिक्षण तंत्र स्थापित करना होगा।

उपज की विपणन के लिए एक केंद्रीकृत संगठन बनाने की सिफारिश की जाती है। यह संगठनः–

- किसानों को उनकी जैविक उपज के विपणन संभावनाओं और उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूकता का निर्माण करेगा (जैविक खेती में प्रथाओं के प्रशिक्षण से ऊपर)।
- उपज को असंसोधित रूप या प्रसंस्करण के बाद एकत्रीकरण की व्यवस्था करना।

- आकर्षक और सुरक्षात्मक पैकेजिंग सुनिश्चित करना।
- भंडारण और लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखना।
- अंतिम उपभोक्ता तक उपज की ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था करना जिसमें दूर के बाजार भी शामिल हैं, या एजेंसियों को बेचना जो प्रसंस्करण या प्रसंस्करण के अगले चरण का कार्य करेंगे।

वित्त के प्राविधानों की व्यवस्था करनी होगी। शुरुआती चरणों में नाबार्ड जैसी सरकारी एजेंसियों या संस्थानों को उत्पादक समूहों या संगठनों को कार्यशील पूंजी प्रदान करनी होगी साथ ही पर्याप्त बढ़ती पूंजी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। एक बार जब संगठन, व्यवसाय करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने लगते हैं तो वे वित्तीय सहायता के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। बड़े बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंकों की नई शुरू की गई श्रेणी के लिए ऋण हेतु संपर्क किया जा सकता है। किसानों के समूहों के लिए क्लॉउड फंडिंग का भी प्रयास किया जा सकता है। लक्षित पूंजी प्रदाता सामाजिक रूप से जागरूक, शहरी निवासी, जैविक उत्पादों के खरीदार, सामाजिक कारणों का समर्थन करने वाले संगठन और समूह आदि होंगे हालांकि संस्थानों के समर्थन के माध्यम से इसे करने की आवश्यकता होगी।

जैविक खेती और कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण तभी सफल होगा जब खेती के अभ्यास और प्रशिक्षण प्रक्रिया, विपणन और वित्त जैसे क्षेत्रों में संस्थागत सहायता प्रणाली मौजूद हो। ये सभी कार्य विभिन्न सहायता संस्थानों या एक ही संगठन की विभिन्न विंगों के माध्यम से हो सकते हैं। किसान समूहों की एक संघात्मक संरचना का गठन किया जा सकता हैं ताकि उपज के एकत्रीकरण, प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि को संघीय निकाय के माध्यम से समन्वित किया जा सके। किसानों के एकत्रीकरण के बिना, प्रशिक्षण और प्रसंस्करण, विपणन और वित्तपोषण गतिविधियों के लिए समूहों और संस्थागत सहायता तंत्र का संगठन करना एवं पहल की स्थिरता हासिल करना मुश्किल होगा।

संस्थागत सहायता प्रणाली कृषि उपज के साथ वन उपज के प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण, विपणन आदि के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए काम कर सकती है, क्योंकि दोनों उपजों का विपणन एक ही छतरी के नीचे हो सकता है। इसके अलावा कई परिवार कृषि के साथ–साथ वन उपज के संग्रह में भी लगे हुए हैं और यहां तक कि एक ही समूह उपज की दोनों श्रेणियों का प्रसंस्करण भी कर सकते हैं।

समूहों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण में केवल तकनीकी प्रक्रियाओं या पैकिंग आदि पर प्रशिक्षण शामिल नहीं होगा क्योंकि गतिविधि समूहों में होगी उन्हें रिकॉर्ड के प्रबंधन और खातों के रखरखाव के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। शासन से संबंधित मामले जैसे कि

भागीदारी, बैठकों का संचालन, पदाधिकारियों का चयन आदि और सबसे महत्वपूर्ण, एक समूह के रूप में कार्य करते समय उद्यमशीलता के गुणों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण केवल उद्यमिता में ही नहीं बल्कि "समूह उद्यमिता" या "सामूहिक उद्यमशीलता" के रूप में होगा। इस पहलू को बाद के अनुभाग में भी कवर किया जाएगा।